

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) to (c). This question was recently discussed at a meeting of the Chief Ministers of State Governments at which they were advised to take the following steps to improve their finances and avoid overdrawals on the Reserve Bank:—

- (1) The States must balance their budgets after taking into account all their liabilities. For this purpose, they must estimate their resources realistically and restrict their expenditure to resources in sight including the promised Central assistance.
- (2) Additional expenditure not provided in the Budget should not be undertaken by the States without ensuring adequate resources for the same in time.
- (3) The States should review their expenditure programmes and undertake measures to effect economies both in administrative and capital expenditure to the maximum extent possible.

State Governments have been requested to work out detailed measures on the above lines, and it is hoped that the position regarding overdrawals on the Reserve Bank would improve as a result.

Farakka Barrage Scheme

500. **Shri Raghunath Singh:**
Shrimati Renuka Ray:
Dr. M. M. Das:
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri Yashpal Singh:
Shri Indrajit Gupta:
Shri D. D. Puri:
Dr. Ranen Sen:

Shri Dinen Bhattacharya:
Shri Surendra Pal Singh:

Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the work on Farakka barrage scheme is progressing very slowly;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken by Government to increase the tempo of work and complete the scheme according to the schedule?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) The progress of the Project is constantly under review. Measures to remove bottlenecks and difficulties as and when confronted, are taken at the highest level.

नेपाली राज्य-क्षेत्र में भारतीय मोटर गाड़ियों का चलना

501. श्री लहटन चौधरी : क्या सिवार्ड और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी, बराज अथवा पश्चिमी कोसी तटबन्ध के उस भाग में, जो नेपाल राज्य क्षेत्र में पड़ता है, भारतीय मोटर गाड़ियां चलाने के बारे में भारत और नेपाल ने संयुक्त रूप से कुछ नियम बनाये हैं ; और यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी बराज अथवा पश्चिमी तटबन्ध क्षेत्र में चलने वाली मोटर गाड़ियों की जांच पड़ताल करने के नाम पर भारतीय मोटर गाड़ियों में जाने वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं और मोटर गाड़ियों को कभी कभी ढकना पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

सिचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फलरुबीन अहमद) : (क) कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच कोसी परियोजना पर हुए 1954 के करार के अन्तर्गत नेपाल में परियोजना अधिकारियों तथा परियोजना कार्य से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों को मोटर गाड़ियां चलाने की छूट है।

(ख) और (ग) परियोजना प्रशासन के सामने कठिनाइयों के कुछ ऐसे मामले आए हैं। ऐसे मामलों को अचलाधीश अथवा नेपाल सरकार के सम्पर्क अधिकारी अथवा काठमांडू में बिहार सरकार के सम्पर्क अधिकारी के नोटिस में उचित कार्यवाही के लिये लाया जाता है।

अमरीकी सहायता

502. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या वित्त मंत्री 12 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5535 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी सीनेटर जान कैंनेडी तथा जान कूपर के उक्त वक्तव्यों पर अब विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम, 1964 तथा विदेशी सहायता अधिनियम, 1961 में चालू वर्ष में यदि कोई संशोधन किये गये हैं तो वह क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के सदस्य जान कैंनेडी और जान कूपर के जिन वक्तव्यों का उल्लेख प्रश्न में किया गया है, उनके बारे में सरकार को कोई खबर नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) पारस्परिक सुरक्षा अधिनियम (म्यूचुअल सिक्योरिटी एक्ट), 1954, के तकनीकी और आर्थिक सहायता सम्बन्धी उपबन्ध संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी सहायता अधिनियम, 1961 द्वारा रद्द कर दिये गये थे। अभी तक अमरीकी कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी सहायता विधेयक, 1966, जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका विदेशी सहायता अधिनियम, 1961 के कुछ उपबन्धों में संशोधन किया जाना है, पास नहीं किया है। इसलिए चालू वर्ष में इस अधिनियम में किये जाने वाले संशोधनों की सूची प्रस्तुत करना सम्भव नहीं होगा।

Capital Market

503. Shri D. C. Sharma:
Shri Shree Narayan Das:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the recent measures taken to revive capital market in the country; and

(b) the outcome thereof?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The more important measures are (i) the abolition of the notional capital gains tax on bonus shares in the hands of investors, (ii) the abolition of 12.5 per cent bonus issue tax on companies, (iii) the exemption of companies from 7.5 per cent tax on the dividends upto 10 per cent of the paid-up equity capital, (iv) the reduction of the company sur-tax from 40 per cent to 35 per cent, (v) the raising of the exemption limit for annuity deposits from Rs. 15,000 to Rs. 25,000, (vi) the extension of special tax concessions to three more industries viz., tea plantations, newsprint and printing machinery.

(b) It is too early to assess the effect of these measures. It may be mentioned, however, that the Reserve